भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 245

जिसका उत्तर बुधवार, 3 फरवरी, 2021 को दिया जाना है

न्यायालयों में लंबित मामले

245. डॉ.टी. सुमति(ए0) तामिझाची थंगापंडियन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरोनाकाल में न्यायालयों को बंद करने के कारण लंबित मामलों के संख्या भार में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो विगत एक वर्ष के दौरान जिला अदालतों और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाएगी और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या नई ओडीआर योजना कोविड-19 के कारण उत्पन्न रोजगार संबंधी, वाणिज्यिक, किरायेदारी संबंधी, उपभोक्ता और पारिवारिक विवादों का भी समाधान करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) यदि नहीं, तो पहले से ही अतिभाराक्रान्त न्यायपालिका में अदालतों को बंद करने के कारण बढ़ते मामलों की समस्या का सरकार द्वारा किस प्रकार समाधान किए जाने की संभावना है ; और

(ङ) क्या सरकार न्यायालयों में रिक्तियों को भरने के लिए एक विस्तृत और कार्यपालन-योग्य रणनीतिक योजना बनाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) : कोविड अवधि समेत पिछले एक वर्ष के दौरान उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में लंबित मामलों के ब्यौरे, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार क्रमशः **उपाबंध-1** और **उपाबंध-2** पर दिए गए हैं ।

(ख) से (घ) : भारत में आनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) के लिए एक प्रभावी कार्यान्वयन ढांचा तैयार करने के लिए, नीति आयोन ने जून, 2020 में, न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, भारत के उच्चतम न्यायालय की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन, एक कार्ययोजना विकसित करने के लिए किया, जो ओ डी आर को मुख्यधारा में लाने में सहायता कर सके और, अतः, ओ डी आर के माध्यम से न्याय तक पहुंच का संवर्धन किया जा सके । समिति ने नवम्बर, 2020 में पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट का पहला प्रारुप रखा, जिसके अन्तर्गत, उन विवादों की प्रकृति जिनका समाधान किया जा सके, जैसे पारिवारिक विवाद, भू-संपदा विवाद, उत्तराधिकार संबंधी विवाद, आस्तियों के विभाजन संबंधी विवाद, उपभोक्ता विवाद, किराएदारी विवाद, श्रम और रोजगार संबंधी विवाद, बैंककारी और वित्तीय विवाद आदि, भी हैं ।

न्याय के परिदान और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन अगस्त, 2011 में न्याय प्रणाली में विलम्ब और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जबावदेही बढ़ाकर तथा निष्पादन मानक और क्षमताओं को नियत करके दोहरे उद्देश्यों के साथ दिया गया था । मिशन, न्याय प्रशासन में बकाया और लंबन के चरणवार कम करके के लिए एक समन्वित पहुंच अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनः प्रबंधन तथा मानव संसाधन का विकास भी है । विभिन्न पहलों के अधीन पिछले पांच वर्षों में उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं :-

(i) **जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार करना:** वर्ष 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आजतक 8,288.30 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं । इस स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों की संख्या जो तारीख 30.06.2014 को 15,818 थी, से बढ़कर तारीख 28.01.2021 तक 20,062 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या जो तारीख 30.06.2014 को 10,211 थी, से बढ़कर तारीख 28.01.2021 तक 17,736 हो गई है । इसके अतिरिक्त, 2,808 न्यायालय हाल और 1,843 आवासीय ईकाइयां निर्माणाधीन हैं ।

(ii) **न्याय के परिदान में सुधार के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाना :** सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के सूचना और संसूचना प्रोद्योगिकी समर्थकरण के लिए देशभर में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का

कार्यान्वयन कर रही है । 28.01.2021 तक 5063 की वृद्धि रजिस्ट्रीकृत करते हुए कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या में 13,672 (2014 में) से 18,735 की वृद्धि हुई है । मामले की सूचना का साफ्टवेयर का नया और उपभोक्ता अनुकूल संस्करण विकसित करके सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लगाया गया है । सभी पणधारी, जिनके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी हैं, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) पर कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/निर्णयों से संबंध सूचना प्राप्त कर सकते हैं । तारीख 01.01.2021 तक इन न्यायालयों से संबंधित 17.90 करोड़ मामलों तथा 13.36 करोड़ आदेशों/निर्णयों की प्रास्थिति जान सकते हैं । ई-न्यायालय सेवाएं जैसे कि मामला रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे, वाद सूची, मामला प्रास्थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय, ई-न्यायालय वैब पोर्टल, सभी कंप्यूटरीकृत न्यायालयों में न्यायिक सेवा केंद्र (जेएससी), ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश और पुल सेवा के माध्यम से मुवक्किलों और अधिवक्ताओं को उपलब्ध हैं । 3240 न्यायालय परिसरों तथा 1272 सादृश्य कारागारों के बीच वीडियो कान्फरेंसिंग सुविधा को समर्थ बनाया गया है । कोविड-19 की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करने तथा आगामी सुनवाई में संक्रमण को अधिक आसान बनाने की दृष्टि से, मामले की प्रास्थिति से लेकर निर्णय/आदेशों को प्राप्त करने, न्यायालय/मामले संबंधित सूचना और ई-फाइलिंग सुविधाओं तक सहायता की आवश्यकता वाले अधिवक्ताओं तथा मुवक्किलों को सुविधा प्रदान करने के लिए न्यायालय परिसरों में 235-ई सेवा केन्द्रों का गठन करने के लिए निधियों की व्यवस्था की गई है । विभिन्न न्यायालय परिसरों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग केबिनों में आगामी सुनवाई की सुविधा प्रदान करने के लिए उपकरणों की व्यवस्था करने हेतु 5.01 करोड़ रुए आबंटित किए गए हैं । विभिन्न न्यायालय परिसरों में, ई-फाइलिंग के हेतु 1732 हेल्प डेस्क काउंटरों के लिए 12.12 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं ।

यातायात संबंधी अपराधों के विचार हेतु दिल्ली (2-न्यायालय), फरीदाबाद (हरियाणा), पुणे और नागपुर (महाराष्ट्र), कोच्चि (केरल), चेन्नई (तमिलनाडु), गुवाहाटी (असम) और बंगलुरु (कर्नाटक) में नौ आभासी न्यायालय गठित किए गए हैं । तारीख 20.01.2021 तक इन न्यायालयों ने 41,98,095 मामले निपटाए तथा 139.25 करोड़ रुपए जुर्माने के रुप में वसूल किए ।

(iii) **उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की रिक्तियों को भरा जाना :** तारीख 01.05.2014 से

25.01.2021के दौरान उच्चतम न्यायालय में 35 न्यायमूर्ति नियुक्त किए गए थे; उच्च न्यायालयों में 570 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और 520 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया था । उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों की स्वीकृत पद संख्या जो मई, 2014 में 906 थी, को बढ़ाकर वर्तमान में 1080 किया गया है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या निम्न प्रकार बढ़ाई गई हैं :

तारीख को	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
31.12.2013	19,518	15,115
28.01.2021	24,247	19,318

अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र में है ।

(iv) **बकाया समिति के माध्यम से/अनुसरण द्वारा लम्बित मामलों में कमी:** अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, उच्च न्यायालयों में पांच वर्ष से अधिक लम्बित मामलों के निपटान के लिए बकाया समितियां गठित की गई है। बकाया समितियां, जिला न्यायाधीशों के अधीन भी गठित की गई है। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों में लम्बित मामलों में कमी के लिए कदम प्रतिपादित के लिए बकाया समिति गठित की गई है।

(v) **वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर देना:** वाणिज्यिक न्यायालय, अधिनियम, 2015, (20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित) किया गया है जो वाणिज्यिक विवादों के निपटारे के लिए आज्ञापक पूर्व-संस्थान मध्यकता क्रियाविधि पर जोर देता है। माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का विहित समय-सीमा तक विवादों के त्वरित निपटान समाधान को शीघ्र बनाने के लिए संशोधन किया गया है।

(vi) **विशेष प्रकार के मामलों के त्वरित निपटान के लिए पहल :** चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें अन्य बातों के साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए; ज्येष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि को अंर्तवलित करने वाले मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना भी सम्मिलित है और राज्य सरकारों से ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 32% से 42% वर्धित कर विचलन के रूप में प्रदान

किए गए अतिरिक्त राजवित्तीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। 18.01.2021 तक जघन्य अपराधों, स्त्रियों और बच्चों के विरुद्ध अपराधों, पारिवारिक और वैवाहिक विवादों, आदि के लिए त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं। निर्वाचित सांसदों/विधान सभा सदस्यों को अंर्तवलित करने वाले त्वरित निपटान अपराधिक मामलों के लिए नौ (9) राज्यों (मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर-प्रदेश, पश्चिमी बंगाल केरल, बिहार, और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली में) दस (10) विशेष न्यायालय स्थापित की गए है और सरकार द्वारा इन राज्यों को आनुपातिक निधियां जारी की गई है । इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लम्बित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सम्पूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना करने के लिए सरकार ने एक स्कीम का अनुमोदन किया है । आज तारीख तक 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र 823 एफटीएससी की स्थापना करने के लिए स्कीम में शामिल हुए हैं, जिसके अन्तर्गत 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं । इस स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में 140 करोड़ रुपए जारी किए गए और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 89.89 करोड़ रुपए जारी किए गए । वर्तमान में, 609 एफटीएससी कार्यरत हैं जिनमें 331 'विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय' भी हैं ।

(vii) इसके अतिरिक्त, न्यायालयों में लम्बन और अवरोध को कम करने के लिए, सरकार ने विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2018 तथा दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 को हाल ही में संशोधित किया है ।

(ङ) : प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव का प्रारम्भ भारत के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव का प्रारम्भ संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों में निहित है, जो उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश की नियुक्त के लिए प्रस्ताव का प्रारम्भ रिक्तियां होने के छह मास पूर्व कर सकेंगे । उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में रिक्तियों का भरना कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक निरन्तर, एकीकृत और सहयोगकारी प्रक्रिया है । इसमें विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित है । इसलिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए समय ढांचा इंगित नहीं किया

जा सकता । जबकि विद्यमान रिक्तियों को तेजी से भरने के लिए प्रत्येक प्रयत्न किया जाता है, उच्च न्यायालयों में रिक्तियां न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, पदत्याग और पदोन्नति तथा न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के कारण होती रहती हैं ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन, राज्यों में जिला न्यायालयँ और अधीनस्थ न्यायालयों के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालय में निहित होता है । और, संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियँ का प्रयोग में, संबंधित राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियँ की नियुक्ति, प्रोन्नति, आरक्षण आदि से संबंधित मुद्दों के संबंध में नियमँ और विनियमों को विरचित करती है । इसलिए, इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की कोई भूमिका नहीं है । तथापि, सितंबर, 2016 में संघ के विधि और न्याय मंत्री ने जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की काडर संख्या बढ़ाने तथा राज्य न्यायपालिका को भौतिक अवसंरचना उपलब्ध करवाने के लिए राज्यों के मुख्य मंत्रियँ और उच्च न्यायालयँ के मुख्य न्यायमूर्तियँ को लिखा । इसे मई, 2017 में पुनः दोहराया गया । अगस्त, 2018 में मामलों के बढ़ते लंबन के संदर्भ में, संघ के विधि और न्याय मंत्री ने रिक्तियों की प्रास्थिति को नियमित रुप से मानीटर करने के लिए और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मलिक मजहर सुल्तान के मामले में विहित समय अनुसूची के अनुसार रिक्त पदँ को भरने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के साथ उचित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए लिखा था ।

न्याय विभाग द्वारा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियँ के पदों को भरने के लिए उदम उठाने हेतु पुनर्विलोकन करने के लिए माह जनवरी, 2018, जुलाई, 2018 नवंबर, 2018, सितम्बर, 2019 और मई, 2020 में सभी उच्च न्यायालयों के महारजिस्ट्रारों तथा सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधि सचिवों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की गईं ।

****

उपाबंध-1

उच्च न्यायालय में लंबित मामलों का विवरण

क्र.सं.	**उच्च न्यायालयों का नाम**	**29.01.2020 को उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या**	**28.01.2021 को उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या**
1.	इलाहाबाद उच्च न्यायालय	732239	771665
2.	कलकत्ता उच्च न्यायालय	21906	269680
3.	गौहाटी उच्च न्यायालय	47569	51646
4.	तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय	219749	236852
5.	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय	196553	209164
6.	उच्च न्यायालय बंबई	267809	545989
7.	छतीसगढ़ उच्च न्यायालय	70233	76412
8.	दिल्ली उच्च न्यायालय	80047	91195
9.	गुजरात उच्च न्यायालय	129980	145539
10.	हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय	58546	74775
11.	जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय	75613	63548
12.	झारखंड उच्च न्यायालय	83699	86692
13.	कर्नाटक उच्च न्यायालय	248285	289023
14.	केरल उच्च न्यायालय	198739	215901
15.	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय	361085	366167
16.	मणिपुर उच्च न्यायालय	3806	4470
17.	मेघालय उच्च न्यायालय	1114	1472
18.	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय	541520	645213
19.	राजस्थान उच्च न्यायालय	472241	529570
20.	सिक्किम उच्च न्यायालय	237	242
21.	त्रिपुरा उच्च न्यायालय	2373	2347
22.	उत्तराखंड उच्च न्यायालय	40060	38676
23.	मद्रास उच्च न्यायालय	403176	581555
24.	उड़ीसा उच्च न्यायालय	151411	171779
25.	पटना उच्च न्यायालय	173629	188337
कुल		**4581619**	**5657909**

उपाबंध-2

देश में लंबित मामलों का विवरण राज्य / केंद्रशासित प्रदेश-वार

क्र.सं.	राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 29.01.2020 तक लंबित मामलों की कुल संख्या	जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 28.01.2021 तक लंबित मामलों की कुल संख्या
1.	अंदमान निकोबार दीप समूह	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	564693	645518
3.	तेलंगाना	566407	686819
4.	अरुणाचल प्रदेश	-------	---
5.	असम	297372	361274
6.	बिहार	2875713	3191323
7.	चंडीगढ़	48262	59265
8.	छत्तीसगढ़	279410	335230
9.	दादर और नागर हवेली	3033	3413
10.	दमण और दीव	2310	2828
11.	दिल्ली	866265	978490
12.	गोवा	२४१३	57311
13.	गुजरात	1611359	1949686
14.	हरियाणा	869120	1126576
15.	हिमाचल प्रदेश	290465	423074
16.	जम्मू और कश्मीर	177254	218833
17.	झारखंड	386064	446803
18.	कर्नाटक	1555617	1763930
19.	केरल	1294910	1841556
20.	लद्दाख	450	768
21.	लक्षद्वीप	------	----
22.	मध्य प्रदेश	1449383	1719056
23.	महाराष्ट्र	3766400	4582365
24.	मणिपुर	9826	11139
25.	मेघालय	8847	10410
26.	मिजोरम	2544	4710
27.	नागालैंड	---------	1562
28.	ओडिशा	1244832	1398399
29.	पंजाब	639683	831225
30.	राजस्थान	1699168	1863560
31.	सिक्किम	1302	1600 रु
32.	तमिलनाडु	1153262	1297274
33.	पुडुचेरी	----------	----
34.	त्रिपुरा	25109	44534
35.	उत्तर प्रदेश	7690966	8653883
36.	उत्तराखंड	208011	269058
37.	पश्चिमी बंगाल	2290464	2401947
कुल		**31903314**	37183419

नोट: अरुणाचल प्रदेश और केंद्रशासित प्रदेशों **लक्षद्वीप** और **पुदुचेरी** के राज्यों में डेटा ऑनडिजिट और सबऑर्डिनेट कोर्ट एनजेडीजी के वेब-पोर्टल पर उपलब्ध नहीं हैं। एनजेडीजी पोर्टल पर **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के** संबंध में डेटा उपलब्ध नहीं है